राष्ट्रभाषा हिंदी

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार मौर्य
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र विभाग

किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जिसे देश के सभी निवासी सामान रूप से समझ और बोल सके। प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही यह कार्य कर सकती है। इस दृष्टि से हिंदी कसौटी पर खरी उतरती है। हिंदी संस्कृत के निकटतम है। यह संस्कृत की विरासत में विकसित भाषा है। इसमें हमारी प्राचीन संस्कृति सुरक्षित है और सबसे अधिक रूप में भारतीयों द्वारा बोली, समझी और लिखी-पढ़ी जाती है।

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343 से 351 के मध्य हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। अनुच्छेद-351 में हिंदी के विकास के लिए यह निर्देश दिया गया है- 'हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि कर उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।'

1918 में इंदौर 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' में महात्मा गाँधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ''देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सहज और सर्वोत्तम हो अर्थात दूसरी भाषाओं के बोझ से दबी न हो। .....मेरा मत है कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं इसे राष्ट्रभाषा बना कर हमें अपना कर्तव्य-पालन करना चाहिए।''

स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चन्द्र सेन ने कहा था, 'हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है।' उनकी दृष्टि में भारतीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है एक राष्ट्रभाषा और इसके सर्वथा योग्य हिंदी भाषा ही है जो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में परिव्याप्त है।

रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था, ''हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाती है।''

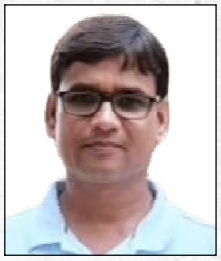

1938 में वर्धा में सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था, 'हिंदी का प्रचार इस लिए किया जा रहा है कि यह बहुत व्यापक रूप में बोली-समझी जाती है और भाषा विचार से सरल और नम्य है।'

भारतीयों ने ही नहीं अपितु विदेशियों ने भी हिंदी को ही भारत की राष्ट्र भाषा माना है। एनी बेसेंट ने कहा था, ''भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारत में मिल सकता है और वह भारत वर्ष में यात्रा कर सकता है.... भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।''

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री राजाजी ने कहा था, ''यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे भारत के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो हिंदी पढ़ना जरुरी है.....भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए भी सर्वमान्य भारतीय भाषा को ग्रहण करना चाहिए।''

तमिलनाडु की तरह आंध्र प्रदेश के भी कई नेताओं ने हिंदी को महत्त्व देने की बात कही, इसमें पट्टाभि सीतारमैया, संजीवय्या, डॉ. चेन्ना रेड्डी, संजीव रेड्डी, के. कृष्णा राव तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव विशेष उल्लेखनीय हैं। आंध्रप्रदेश में 'हिंदी प्रचार सभा' ने भी हिंदी के विकास में सराहनीय योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में हिंदी का पठन-पाठन होने लगा। केरल, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में भी प्रचार-प्रसार

का कार्य व्यापक रूप से चलता रहा है।

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा था, ''हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।''

हिंदी में राष्ट्रभाषा के सभी गुण विद्यमान हैं-

1. इसे संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा की ऐतिहासिक विरासत मिली है।

2. इसकी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है।

3. इसकी शब्दावली अति समृद्ध है।

4. शुद्ध वर्तनी, सरल वाक्य रचना और स्वाभाविकता इस भाषा की विशेषताएं हैं।

5. हिंदी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है।

6. हिंदी का साहित्य भारतीय संस्कृति का वाहक है।

7. हिंदी में अति समृद्ध वैज्ञानिक साहित्य लिखा गया है।

8. विदेशों में भी हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है।

9. हिंदी भाषा का उपयोग कम्प्यूटर में भी आसानी के साथ किया जा सकता है।

10. हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र की भाषा है। उत्तर भारतीय दस राज्यों की अपनी भाषा है। देश के चार महानगरों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली की भी मुख्य भाषा हिंदी ही है।

इस प्रकार से प्रत्येक दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करने के योग्य है। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना ही चाहिए। सभी स्वतंत्र देशों में वहां की राष्ट्रभाषाएं ही राजभाषाएं हैं। हिंदी में एक राष्ट्रभाषा के सारे तत्व विद्यमान हैं। स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद भी उपर्युक्त दृष्टि से हिंदी ही राष्ट्रभाषा के पद पर अधिनिष्ठित है।

आज के विभिन्न जन-संचार माध्यमों रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, सोशल मीडिया, फ़िल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा हिंदी है। तकनीकी विकास के साथ-साथ हिंदी और अधिक व्यापक, क्षिप्र तथा प्रभावी होती जा रही है। हिंदी भाषा में जितनी संख्या में छोटे और बड़े समाचार पत्र छपते हैं, विश्व की किसी भाषा में नहीं छपते। भारत की अधिकांश जनता इसे बोलती और समझती है। कुछ लोग इसे बोल भले ही न पाए पर समझते अवश्य हैं। इस प्रकार हिंदी एक सशक्त संचार भाषा भी है। यह देश की सबसे बड़ी एवं विस्तृत भाषा है।

फिल्मों ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। हिंदी फिल्मों के दर्शक पूरे विश्व में फैले हैं। हिंदी फ़िल्में और दूरदर्शन के रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक ने हिंदी के विकास में सराहनीय योगदान किया है। स्मार्ट फोन के आने से सोशल मीडिया का फलक और विस्तृत हुआ है। आज जिसके पास स्मार्ट फोन है वह पूरी दुनिया की पल-पल की खबर रखता है। सोशल मीडिया के विस्तार ने हिंदी भाषा को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

हिंदी उच्चकोटि के साहित्य सृजन की भाषा है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं की रचनाएं सराहनीय ढंग से की जा रही है। शिक्षण एवं जनभावनाओं की अभिव्यक्ति दोनों का सशक्त माध्यम हिंदी बन रही है। पूरे भारत में सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम हिंदी है। राजकाज चलाने का प्रमुख माध्यम हिंदी भाषा ही है। प्रांतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी पूरे भारत की माध्यम भाषा का रूप लेती जा रही है। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी शिक्षण का माध्यम है। अब धीरे-धीरे उच्च शिक्षा में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहां के राष्ट्रीय स्तर के कार्यों के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जो यहां के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच संपर्क माध्यम बन सके। भारत में हिंदी ही विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संपर्क सूत्र है। हिंदी जनमानस में सदैव रमी चली आयी है। इस भाषा में सर्वग्राहिता की ऐसी शक्ति है कि इसमें सभी भाषाओं के तत्व सरलता समाहित हो जाते हैं। आज अंग्रेजी ही नहीं विश्व की कितनी भाषाओं के शब्द इसके अपने बन चुके हैं। हिंदी मातृभाषा के रूप में उत्तर भारत में प्रतिष्ठित है। करीब 70 करोड़ भारतीयों के मध्य हिंदी देश-देशांतर में वैचारिक आदान-प्रदान की भाषा है। हिंदी का मातृ रूप अपनी सरलता, सहजता, सुगमता, बोधगम्यता और रोचकता के लिए विख्यात है। इसमें लोकजीवन के सहज स्वर लिपियां हैं, भारतीय कृषक एवं ग्राम्य-संस्कृति की अनुगूंज है और संस्कृत से ले कर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की भाषिक परम्परा के जीवंत संस्कार है। विदेशी भाषाओं तथा विभिन्न

भारतीय भाषाओं ने भी इसे सजाया संवारा है। इसी लिए मातृभाषा हिंदी जन-जन का कंठाहार बनी हुयी है।

भारत की जनता ही नहीं अपितु पूरा विश्व हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा मानता है। यह पूरे देश की संपर्क भाषा है। पूरा देश ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश हैं जहां की यह अपनी भाषा है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी ने विश्व संस्था UNO में भी प्रवेश कर लिया है। धीरे-धीरे विश्व के कई देशों में हिंदी को विश्वविद्यालयीय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलता जा रहा है। विदेशों में हिंदी का व्यवहार बढ़ रहा है। तमाम अप्रवासी भारतीय इस भाषा के प्रचारक हैं इसमें मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड टोबैगो, फिजी प्रमुख हैं। इस प्रकार हिंदी सैद्धांतिक एवं वैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा भले ही न हो पर व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्र भाषा होने में कोई संशय नहीं है।

***

विवाह

वह विवाह-
जिसे पति-पत्नी का पवित्र बन्धन कहा जाता है ।
जो परिणय-
सिन्दूर से बनता है ।
दो अनजाने क़रीब आते हैं ;
बँधते हैं प्रीति की डोर से ।
जीवनभर साथ-साथ रहने,
और सुख-दुःख साथ सहने का संकल्प लिए,
क़दम बढ़ाते हैं अज्ञात पथ पर,
एक कुटुम्ब सजाने के लिए ।
जहाँ पुष्प हँसते हुए झूमते हैं,
गाते हुए पराग विसरित करते हैं ।
जो जीवन कल्पनाओं की मीठी यादों से बनता है,
और जीवन-सहचर द्वारा बनाया जाता है,
ऐसा प्रेममय जीवन कुछ को मिलता है ।
कुछ को तड़पना पड़ता है,
कराहना पड़ता है ।
ऐसे में वह नारी-
जो विवाह के पवित्र बन्धन से बंधती है,
वही बन्धन हथकड़ी बनता है,
सदा-सदा कैद रखने के लिए ।
विवाह के पहले का स्वप्न-
माँग में सिन्दूर पड़ते ही टूट जाता है ।
माँ-बाप जिस बेटी को सुखी समझता है,
वही बेटी तड़पती है-
एक दर्द में !
जलती है उस चिता में-
जो दहेज से बनती है ।
नयन नीर बन-बन कर,
स्वप्न और कल्पनाओं का संसार झरने लगता है ।
उसका जीवन दर्द में सन जाता है,
जिससे वह ख़ुशी अलग नहीं कर पाती ।
रोती है हरदम !
तड़पती है आजीवन !
जीवन अन्धकार में डूब जाता है,
जिसमें चाँद तो निकलता है,
पर, चाँदनी नहीं होती ।
क्या यही विवाह है ?
जिसमें नारी तड़पे-
हर क्षण !
रोये उस पर-
जो अपना होते हुए भी अपना नहीं है ।
ऐसे में वह उपवन-
जो कल्पनाओं और स्वप्नों से बना था,
बसंत आने पर भी उस पर-
विरस पतझड़ छाया रहता है ।
शीतल बयार जब उससे होकर बहती है,
तो एक दर्दभरी आवाज़ निकलती है-
सुबकने की,
जो उस नारी के आँसुओं से भीगी होती है ।
जो सरसराहट होती है-
सरकते हुए आँचल की होती है ।
पूरा जीवन काँच के टुकड़ों-सा बिखर जाता है,
जिसे जोड़ना-
उसके लिए कठिन ही नहीं,
असम्भव हो जाता है ।